Letter No.-NGT-135 /81-7-2021-02(Writ)/2017

From,

Sanjaya Singh,
Secretary,
Department of Environment, Forest &
Climate Change, Govt. of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Environmnet, Forest & Climate Change, Section-7 **Lucknow : Dated : 15 March, 2021**

Sub.: **Regarding Submission of Status Report of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 29.10.2020 in the matter of OA No. 65/2020, In Re: Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors.**

Sir,

In compliance of the order dated 29.10.2020 passed by the Hon'ble Tribunal in OA No. 65/2020, In Re: Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Status Report of Government of Uttar Pradesh is enclosed herewith duly approved by Chief Secretary, U.P.

It is requested that the Status Report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours Sincerely,

(Sanjaya Singh)
Secretary.

Status Report in compliance of directions of Hon'ble National Green Tribunal dated 29-10-2020 in OA no. 65/2020 Shushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.

1. Hon'ble National Green Tribunal in OA no. 65/2020 Shushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. passed directions for protection and restoration of water bodies for the environment. The operative portion of the said order dated 29-10-2020 is reproduced as below:-

   "................5(6). However, we wish to add a further direction having bearing on the subject. We have already noted the significance of protection and restoration of water bodies for the environment. The protection of water bodies not only add to availability of water for different purposes, it also contributes to recharge of ground and maintaining e-flow in the rivers, is congenial to micro climate in sub-watersheds as well as enhancing the natural aesthetics. While the rain water harvesting is certainly important, harvesting surplus water during excessive rains from any areas of catchment needs to be optimized by enhancing the capacity of the existing ponds/water bodies, creation of water harvesting structures in the sub-watersheds to the extent possible, apart from setting up of additional water bodies/water harvesting structures wherever viable, utilizing available funds including under MGNREGA and involving the community at large at every level. Gram Panchayats can certainly play a significant role in the matter. Once adequate capacity enhancement of waterbodies takes place, excess flood/rain water can be channelized by using appropriate water harvesting techniques. This action needs to be coordinated by the District Magistrates in coordination with the Department of Irrigation and Flood Control or other concerned Departments such as Department of Rural Development/Urban Development/Local Bodies/Forests/Revenue etc. The District Magistrate may as far as possible hold a meeting of all the stakeholders for the purpose as per the District Environment Plan or Watershed Plan within one month from today. The District Magistrates may also ensure that as far as possible atleast one pond/water body must be restored in every village, apart from creation of any new pond/water body.

5(7). Action taken in this regard may be compiled at State level and reports furnished to the Chief Secretaries of the States by the concerned District Magistrates. Consolidated report of the State may thereafter be forwarded to the CPCB preferably by 31.08.2020 and CPCB may cover this aspect also in its meeting........"

7. ....we direct the Chief Secretary, UP to hold a meeting with all District Magistrates by video conferencing within one month from today to address the issue and to prepare a uniform action plan applicable throughout State of UP for identification and protection of water bodies.

8. We also request the Monitoring Committee constituted by this Tribunal headed by Justice S.V.S. Rathore, former Judge of the Allahabad High Court to monitor compliance and furnish its independent report in the matter by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

9. Further action taken report as on 28.02.2021 may be filed by the Chief Secretary, U.P. before the next date by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

2. The status report on the compliance of above directions of Hon'ble NGT is as below:
   i. Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh vide its letter dated 16-07-2020 has issued directions to all the concerned departments like Panchayati Raj, Irrigation and Water Resources, Rural Development, Minor Irrigation and Ground Water, Revenue Department besides all the District Magistrates for participating in the workshop for preparation of Action Plan for restoration of lake/ponds and wetlands on the format as prescribed by CPCB. It was also communicated that the format for the preparation of the Action Plan has been made available on the Web Portal www.upecp.in.
   ii. That, Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh in coordination with Uttar Pradesh Pollution Control Board has organised a training programme on 23-07-2020 wherein District level officials of concerned departments were given training on restoration of lake/ponds and wetlands. The workshop was attended by all the concerned stake holders. The detail of

proceeding of workshop dated 23-07-2020 is enclosed as marked as **Annexure No. 1.**

iii. That Uttar Pradesh Pollution Control Board has prepared a Guideline for Action Plan for the Restoration of Lakes/Ponds and Wetlands. The guideline covers following crucial issues related to restoration of the wetland :

   a. Format for the preparation of Action Plan.
   b. Procedure to identify the wetlands and allotment of unique ID for each identified wetland.
   c. Nomination of Nodal department for each wetland.
   d. Preparation of survey map.
   e. Monitoring of the water quality of each wetland with respect to pH, Total Dissolved Solid, Dissolved Oxygen, Bio-Chemical Oxygen Demand, Chemical Oxygen Demand, Total Coliform, Faecal Coliform.
   f. In-situ Treatment Technologies etc.

The guideline prepared by UPPCB has been circulated to all the concerned departments and stakeholders.

3. That in order to ensure regular and effective monitoring, Board of Revenue Uttar Pradesh has developed a monitoring portal on its website bor.up.nic.in wherein dedicated link for removal of encroachments from lake, ponds and wetlands has been provided. The Action Taken Reports related to removal of encroachments from lake, ponds and wetlands is uploaded on the said website for regular monitoring of the State.
4. In compliance of the directions of Hon'ble National Green Tribunal dated 29-10-2020 Chief Secretary, Uttar Pradesh held a meeting on 18-11-2020 through Video Conferencing with all the 75 District Magistrates of the State. In the said meeting higher officials of Home, Environment, Forest and Climate Change, Revenue Board were present. Chief Secretary, Uttar Pradesh has issued directions to all the District Magistrates for time bound compliance on the following:-

   i. All lake, ponds and water bodies to be identified based upon revenue records and mapping of encroachments be done on priority basis.

ii. Enforcement drives to be undertaken for removal of encroachment on regular basis and the progress should be uploaded on the website of Board of Revenue.

iii. After removal of the encroachment from waterbodies, the Action Plan for their restoration be prepared based upon the guidelines of Uttar Pradesh Pollution Control Board and submitted to Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh.

The minutes of meeting dated 18-11-2020 is enclosed as marked as **Annexure No. 2.**

That Chief Secretary, Uttar Pradesh reviewed the progress of compliance on 21-12-2020 and directed all the District Magistrates to submit Action Plan for identification and restoration of wetlands. That the Chief Secretary again reviewed the status of compliance on 15-02-2021 and issues directions that Action Plan for restoration of wetlands be prepared within one month with due intimation to Environment, Forest and Climate Change Department, Uttar Pradesh. The minutes of meeting dated 15-02-2021 is enclosed as marked as **Annexure No. 3.**

5. The Oversight Committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal has also reviewed the status of compliance of directions of Hon'ble National Green Tribunal through Video Conferencing on 10-03-2021. The Oversight Committee in its compliance report submitted before Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 325/2015 Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi Vs. Union of India and Ors. on 01-10-2020 has recorded the Ground Water Management in Mathura and Restoration work in Gautam Buddha Nagar as one of the best practices for Restoration of Water Bodies. The related portion of the report of Oversight Committee is being reproduced as below :

i. **Ground Water Management in Mathura :**

Under the Jal Shakti Abhiyan, the administration is taking steps to improve the water quality in the district. The simple mechanical interventions like digging ponds and rains raised the readiness to tap water which increased groundwater level. During May 2019 – Aug 2020, the decline in TDS is visible. An award of excellence had been presented to District Magistrate of Mathura at Water Innovation Summit, 2020 under the category "Rejuvenating Water Bodies: Innovation in a City Landscape".

ii. **Restoration work in Gautam Buddha Nagar :**

Rejuvenation and restoration of ponds in district Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh was done with the help of private sector. Shri B.N Singh in a meeting informed that a Public-Private Partnership initiative was started by him last year wherein the district administration joined hands with reputed companies and ponds were given for 5 to 10 years on lease/licence for heavy plantation in catchment areas, which was done by the private companies. To avoid any misuse, a specific condition was laid down that no private company would have any lien or right on issuance of lease or license to it. Under this initiative, 51 new ponds have so far been dug up and more than 1000 ponds de-silted. Private companies, in need of mud were permitted to dig out and deepen the depth of ponds by removing silt from their beds. Such schemes would prove to be a success with proper coordination and co-operation of State and private sector.

6. That 29 Districts have submitted the Action Taken Report related to identification and Action Plan for restoration of lake, ponds and wetlands. The summary of the Action Taken Reports received from 29 Districts is as compiled below:-

S.No.	Name of District	No. of wetlands identified for action plan	No. of action plans prepared for restoration
1.	Ambedkar Nagar	168	168
2.	Lucknow	242	Under Preparation
3.	Kanpur(Nagar)	356	172
4.	Saharanpur	1101	408
5.	Hardoi	463	463
6.	Unnao	647	647
7.	Mainpuri	82	82
8.	Kanpur(Dehat)	9	9
9.	Behraich	70	70
10.	Muzaffar Nagar	632	632
11.	Bulandshahar	1263	1263
12.	Hathras	38	19
13.	Deoria	19	19
14.	Gazipur	5	5
15.	Etawah	168	168
16.	Amroha	407	30

17.	Firozabad	1187	695
18.	Jhansi	198	160
19.	Auraiya	508	Under Preparation
20.	Etah	251	5
21.	Shamli	363	348
22.	Bijnor	515	515
23.	Pilibhit	331	331
24.	Rampur	60	60
25.	Chitrakoot	849	849
26.	Gorakhpur	67	67
27.	Ghaziabad	238	-
28.	Kushinagar	1902	10
29.	Bareilly	25	25
Total		**12164**	**7220**

7. That the State and Uttar Pradesh Pollution Control Board are regularly monitoring the compliance of directions of Hon'ble NGT for identification and restoration of the lake, ponds and wetlands in the State.

Amit Chandra
Chief Environmental Officer
U.P. Pollution Control Board,
Lucknow

इं० आर० के० सिंह
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (अभियन्ता)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

Annexure-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबरॉय प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2020 एवं 01.06.2020 के अनुपालन में प्रदेश में स्थित तालाब, झील व अन्य वैटलेन्ड के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें तैयार किये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2020 को समस्त जनपदों के उत्तरदायी विभागों/संस्थाओं को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये प्रशिक्षण का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विषयगत वाद में पारित आदेश दिनांक 25.02.2020 एवं 01.06.2020 के अनुपालन में प्रदेश में स्थित तालाबों, झीलों एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये प्रारूप पर कार्ययोजना तैयार किये जाने के संबंध में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.07.2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन, पंचायती राज, सिचाई एवं जल संसाधन, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, ग्राम्य विकास, राजस्व विभाग तथा अन्य उत्तरदायी विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त आहूत प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य बिन्दु एवं निर्णय निम्नवत् हैं:–

1– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा शासन स्तर के समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों/संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.02.2020 एवं 01.06.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रदेश के गिरते भूगर्भ जल, जल संचयन एवं जल संरक्षण के संबंध में जिला स्तर पर समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा जल निकायों के पुनर्जीवन हेतु समयबद्ध रूप से कार्ययोजनायें तैयार करते हुए उन्हें कियान्वित कराया जाना है।

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2020 के अनुपालन में प्रदेश के समस्त उत्तरदायी विभागों को प्रदेश में स्थित तालाबों, झीलों एवं अन्य वेटलैण्ड्स का चिन्हीकरण (जियो टैगिंग), प्रत्येक की जल गुणता अनुश्रवण एवं अपेक्षित सुधार हेतु कार्ययोजनाओं की प्रगति का विवरण दिनांक 31.03.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी आदेशित किया गया था कि निर्धारित अवधि तक उक्त कार्ययोजनाओं की सूचना प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में विलम्ब पर प्रतिमाह रू0 एक लाख की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा जमा की जानी होगी। अग्रेतर मा0 अधिकरण द्वारा प्रश्नगत वाद में पारित आदेश दिनांक 01.06.2020 में कार्ययोजनाओं की सूचना दिनांक 31.08.2020 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में "प्रदूषित जल निकायों (झीलों

और तालाबो) के जीर्णोद्धार के लिये प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रारूप उपलब्ध कराये गये हैं जो कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बेव पोर्टल--http://upecp.in/WetlandMgmtPlan.aspx पर उपलब्ध है, जहाँ से प्रारूपों को डाउनलोड किया जा सकता है। प्रारूप–1 पर समेकित सूचना जिला पर्यावरण समिति के संयोजक अर्थात प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रारूप–2 अर्थात कार्ययोजना की सूचना के आधार पर संकलित कर दी जायेगी। प्रारूप–2 पर कार्ययोजना वेटलैण्ड्स के स्वामित्व वाले विभाग अथवा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जायेगी।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों के समक्ष एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसमें तालाबों, झीलों एवं आर्द्रभूमि के पुनर्जीवन हेतु प्रशिक्षण दिया गया तथा वेटलैण्ड्स का महत्व, कार्ययोजना का प्रारूप, वेटलैण्ड्स के चिन्हीकरण, आंकड़े एकत्रित करना, वेटलैण्ड की जलगुणता का अनुश्रवण, वेटलैण्ड में मिलने वाले नालों का प्राकृतिक जैविक उपचार आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी।

3— प्रशिक्षण कार्यशाला में सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक ग्राम सभा में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना हुआ है, उस रजिस्टर से भी वेटलैण्ड्स का चिन्हीकरण कर इस संबंध में सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं तथा राजस्व विभाग के भुवन पोर्टल के द्वारा भी वेटलैण्ड्स का मैप तैयार किया जा सकता है।

4— सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप 1 एवं 2 पर वांछित सूचना शासन स्तर से दिनांक 31.08.2020 के पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है। प्रतिभाग करने वाले समस्त जिला प्रशासन/विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तालाबों, झीलों एवं अन्य वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें तैयार किये जाने के संबंध में उत्तरदायी विभागों से निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनायें प्राप्त कर 15 दिन के अन्दर समस्त जिला पर्यावरण समिति के संयोजक/प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शीघ्र प्रेषित की जायें, ताकि प्रदेश की पूर्ण सूचनाओं का संकलन कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की स्वीकृति के उपरान्त शासन स्तर से संकलित सूचना दिनांक 31.08.2020 के पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित विभाग/जिला प्रशासन/जिला पर्यावरण समिति/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी तत्काल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आहूत कर उक्त कार्ययोजनायें समयान्तर्गत तैयार किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाये तथा संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया जाये।

(कार्यवाही–समस्त संयोजक, जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

संजय सिंह
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-382/81–7–2020–23(रिट)/2018 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 30 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज/ग्राम्य विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।
4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

File No.81-7005(099)/159/2020-07-, **Annexure-2**

पत्रांक ....1964 / आईटी / ...20

दिनांक 2/12/20

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 65/2020 सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 29.10.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 18.11.2020 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यवृत्त।

उक्त वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 18.11.2020 में अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सचिव, राजस्व परिषद एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा वीडियो कान्फ्रेंस में समस्त 75 जनपदों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे।

2– मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2020, सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 29.10.2020 को आदेश पारित किया गया है कि मुख्य सचिव स्तर से आदेश की तिथि से 01 माह के अन्दर समस्त जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समस्त वाटर बॉडीज को चिन्हित करने व प्रोटेक्शन हेतु यूनीफॉर्म एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये जायें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 17.03.2021 नियत की गयी है। प्रश्नगत आदेश में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मुख्य रूप से झीलों, तालाबों एवं वाटर बाडीज़ पर हुये अतिक्रमण के दृष्टिगत उन्हें चिन्हित कर उनके अतिक्रमण को एक कार्ययोजना बनाकर हटाते हुये उनके पुनर्जीवन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3– उक्त के अतिरिक्त मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 325/2015, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबेरॉय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 25.02.2020 एवं 01.06.2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 16.07.2020 को समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि तालाबों, झीलों एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें तैयार करते हुए दिनांक 31.08.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जायें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर वेटलैण्ड के पुनर्जीवन एवं चिन्हिकरण हेतु संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिनांक 23.07.2020 को प्रशिक्षित भी किया गया तथा एक गाईडलाईन भी निर्गत कर प्रसारित की गई है। अग्रेत्तर मा0 अधिकरण द्वारा समयान्तर्गत 31.08.2020 तक वेटलैण्ड पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें प्रस्तुत नहीं करने की दशा में राज्य सरकार पर रू0 01 लाख प्रतिमाह अर्थदण्ड लगाये जाने के भी आदेश दिये गये हैं।

4– सचिव, राजस्व परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत कब्जों को संक्षिप्त बेदखली की प्रकियानुसार हटाया जा सकता है तथा समस्त जिलाधिकारियों द्वारा तालाबों/झीलों से अवैध कब्जे हटाने की स्थिति की सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in के मुख्य पृष्ठ (main page) पर उपलब्ध **'विभागीय**

महत्वपूर्ण लिंक' में **'राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों एवं वाटर बाडीज से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना'** पर विलम्बतम 28.11.2020 तक अनिवार्य रूप से अपलोड की जाय।

अन्त में समस्त जिलाधिकारियों को मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु निम्नवत् समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये :—

1— समस्त झीलों, तालाबों एवं वाटर बाडीज़ को राजस्व अभिलेखों के आधार पर चिन्हित करते हुये उनमें हुये अतिक्रमण आदि की मैपिंग प्राथमिकता के आधार पर कर ली जाय।

2— चिन्हित अतिक्रमणों को संक्षिप्त बेदखली की प्रकियानुसार हटाये जाने हेतु एक्शन प्लान बनाकर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अभियान चलाया जाय तथा अतिक्रमण हटाये जाने की स्थिति की सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in के मुख्य पृष्ठ (main page) पर उपलब्ध **'विभागीय महत्वपूर्ण लिंक'** में **'राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों एवं वाटर बाडीज से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना'** पर विलम्बतम 28.11.2020 तक अनिवार्य रूप से अपलोड की जाय।

3— वाटर बाडीज़ के कब्जों को हटाकर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी मार्गदर्शिका की सहायता से उनके पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें बनाकर विलम्बतम् दिनांक—28.11.2020 तक पर्यावरण विभाग (ईमेल—soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईमेल—ms@uppcb.com) को प्रेषित की जाय।

अन्त में वीडियो कान्फ्रेंस बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

Digitally signed by राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date:Tue Nov 24 16:42:27 IST 2020
Reason:Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग—7
संख्या—N.G.T.-600/81—7—2020—02(रिट)/2017
लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, नगर विकास, अवस्थापना एवं

औद्योगिक विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, कृषि, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

3— पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

4— प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

5— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

7— समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, उ0प्र0।

8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Annexure-3

उ0प्र0 शासन
कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
संख्या- 237 /31-2021-44/2014टी0सी0
लखनऊः दिनांक 22 फरवरी, 2021

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   संस्कृति/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/राजस्व/खाद्य एवं रसद/पशुधन/कृषि/वन एवं पर्यावरण/नगर विकास/गृह/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, गोमती नगर, लखनऊ।**
3. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15 फरवरी, 2021 को लोक भवन में समस्त जिलाधिकारियों एंव मण्डलायुक्तों के साथ आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिये गए निर्देशों का कार्यवृत्त संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यवृत्त में अंकित बिन्दुओं में से अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 237 (1)/31-2021-44/2014टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2-प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-गार्ड फाइल।

(जोगेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15 फरवरी, 2021 को लोक भवन में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा विभागवार एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्देश दिए गए:-

<u>वन एवं पर्यावरण</u>

1. ओ0ए0 नं0 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन स्थानीय निकायों से सुनिश्चित कराया जाये। सॉलिड वेस्ट को जलने से रोकने हेतु प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। नगरीय क्षेत्रों में सीवेज के शोधन हेतु एस0टी0पी0 की उचित व्यवस्था होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत समस्त मुख्य नालों मे बॉयोरैमिडियेशन का कार्य एक माह के अंतर्गत प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
2. ओ0ए0 नं0 46/2018 नग्गाहल्ली जैशिम्हा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 को निस्तारित करते हुये आदेश दिनांक 08.10.2020 द्वारा डेयरियों में पर्यावरणीय नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश दिये गये कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्थापित समस्त डेयरीज की इन्वेन्टरी 01 माह में पूर्ण करा कर डेयरियों से जनित ठोस अपशिष्ट एवं प्रदूषित उत्प्रवाह के उचित प्रबंधन की योजनायें 02 माह मे बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. ओ0ए0 नं0 384/2016 खालिद अशरफ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पतंग उडाने हेतु चाइनीज मांझे के प्रयोग पर जारी प्रतिबंध के क्रम में पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 01.05.2017 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गृह विभाग को सिन्थेटिक मांझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे के निर्माण ,भण्डारण,उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि गृह विभाग द्वारा उक्त प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या 01 माह मे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।
4. ओ0ए0 संख्या-65/2020 सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के समस्त वैटलैंडस के चिन्हाकन एवं उनके संरक्षण के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के 16 जनपद यथा अम्बेडकरनगर, लखनऊ, कानपुर देहात, सहारनपुर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, कानपुर, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, हाथरस, देवरिया, गाजीपुर, फिरोजाबाद एवं सीतापुर, में स्थित वेटलैंडस के संरक्षण एवं पुर्नरूद्धार हेतु कार्य योजनायें बना ली गयी हैं। निर्देश दिये गये

कि शेष जनपदो में स्थित वेटलैंडस के संरक्षण एवं पुर्नरूद्धार हेतु कार्य योजनायें 01 माह के अंदर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इसकी सूचना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ,उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे उक्त प्रकरण दिनांक 17.3.2021 को नियत है।

5. ओ0ए0 नं0 118/2020 निथिन0 एम0 बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं 519/2016 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उक्त ओ0ए0 के सम्बन्ध में ध्वनि नियम के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं। मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन द्वारा गृह विभाग को जारी आदेश दिनांक 01.12.2020 के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुये यह भी निर्देशित किया गया कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत शांत क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु अभी तक मात्र 26 जनपदो से पर्यावरण विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उक्त नियम के अनुसार शांत क्षेत्र के प्रस्ताव बनाकर 01 माह के अंतर्गत इसकी सूचना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। उक्त प्रकरण दिनांक 15.4.2021 को नियत है।
6. ओ0ए0 नं0 648/2019 हिण्डन रिजॉट प्रा0 लि0 बनाम जि0डि0ए0 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी,गाजियाबाद को यह निर्देश दिये गये कि जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से नगर निगम, जल निगम,गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित समस्त एस0टी0पी0 एवं उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 का मानकों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करायें। "डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉस्क फोर्स" के माध्यम से आवासीय क्षेत्रो में अवैधानिक रूप से स्थापित प्रदूषणकारी ईकाइयों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही 01 माह में सुनिश्चित करायी जाये।
7. ओ0ए0 नं0 6/2012 मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत यमुना प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में जनपद-गाजियाबाद में यमुना नदी के कैचमेंट में स्थापित एस0टी0पी0 के सुचारू संचालन, प्रस्तावित एस0टी0पी0 के निर्माण/अपग्रेडेशन, सेप्टेज मैनेजमेंट तथा एस0टी0पी0 की स्थापना होने तक प्रमुख नालों में बॉयोरैमिडियेशन के कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर अनुपालन आख्या 01 माह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
8. ओ0ए0 संख्या-116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन,गोरखपुर के अन्तर्गत जिलाधिकारी,गोरखपुर को निर्देश दिये गये कि गोरखपुर मे नगरीय ठोस अपशिष्ट

के शुद्धिकरण,निस्तारण एवं प्रस्तावित लैंडफिल साइट की स्थापना के संबंध में नगर निगम गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित योजना हेतु शेष चिन्हित भूमि का अधिग्रहण शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर 01 माह मे अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

9. ओ0ए0 संख्या-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत दिये गये कि पश्चिमी उ0प्र0 मे हिण्डन नदी के कैचमेंट क्षेत्र मे भू-जल प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु प्रस्तावित पाइप वाटर सप्लाई की योजना का क्रियान्वयन निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सुनिश्चित कराया जाये। मुजफ्फरनगर में 22 एम0एल0डी0 एवं बुढाना में 10 एम0एल0डी0 क्षमता के प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार सुनिश्चित करायी जाये। सहारनपुर में 93.6 एम0एल0डी0 क्षमता के प्रस्तावित एस0टी0पी0 की शीघ्र स्थापना हेतु एन0एम0सी0जी0 में लम्बित डी0पी0आर के अनुमोदन हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये ।

10. ओ0ए0 360/2018 श्रीनाथ वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदो में पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल प्लान" बनाकर उनके क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं। अभी तक जनपद-बहराइच, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर एवं वाराणसी के ही "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल प्लान" प्राप्त हुये हैं। माननीय अधिकरण मे अग्रिम सुनवाई 11.05.2021 को नियत है। संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनपदो का "डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल प्लान" बनाकर सूचना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर 01 माह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

11. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु जिलास्तर पर गठित जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से पर्यावरणीय प्रबंधन संबंधित कार्यो/योजनाओं की नियमित मासिक समीक्षा सुनिश्चित करते हुये निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

12. माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन संबंधी कार्यवाही की सूचना पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाये।

13. जिन कार्यो में टाइमलाईन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हो सकी है तथा उनमें यदि अनुचित विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना से पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर अवगत कराया जाय।

14. जिन कार्यो में विलम्ब औचित्यपूर्ण है उनमें औचित्य के साथ टाइमलाईन एक्सटेंशन के संबंध में सूचना प्रेषित की जाये।

बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे

15. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे योजना में 94.83 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। 04 जनपदों यथा महोबा, जालौन, औरैया एवं इटावा में धारा-19 के प्रकाशन के बाद कब्जे की कार्यवाही की जानी है। जिलाधिकारी महोबा द्वारा दिनांकः 20.02.2021, जिलाधिकारी जालौन द्वारा दिनांकः 28.02.2021 जिलाधिकारी औरैया द्वारा दिनांकः 10.03.2021 एवं जिलाधिकारी इटावा द्वारा दिनांकः 28.02.2021 तक अवशेष भूमि पर कब्जे की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। इसी प्रकार जनपद चित्रकूट, बॉदा एवं हमीरपुर के धारा-19 की कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन में प्राप्त हो चुका है। निर्देश दिए गए कि समीक्षा कर कार्यवाही शीघ्र किया जाए।

गंगा एक्सप्रेस-वे

16. गंगा एक्सप्रेस-वे योजना में सभी 12 जनपदों को भू अर्जन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। भू अर्जन से सम्बन्धित 100 किसानों को मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित कराने हेतु दिन शनिवार को कैम्प लगाकर सम्मानित कराएं। माह फरवरी, 2021 तक का भू अर्जन लक्ष्य को सभी जिलाधिकारी पूरा कराएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि मासिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। जिन जनपदों में संरेखड़ (Alignment) शेष है उनमें सी0ई0ओ0 यूपीडा द्वारा तत्काल कराया जाए।

पशुधन

17. मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत 40 जनपदों में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कर ली गई है परन्तु अभी भी कतिपय जनपदों यथा जालौन, मथुरा आदि में प्रगति कम है। निर्देश दिए गए कि अवशेष जनपद शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें।

18. गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की इयर टैगिंग के अन्तर्गत 5.20 करोड़ के सापेक्ष 3.37 करोड़ पशुओं की इयर टैगिंग हुई है। जनपद महोबा, कासगंज, संतकबीरनगर, बलरामपुर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, हरदोई, गोण्डा एवं मथुरा आदि में 40 प्रतिशत से कम प्रगति है। निर्देश दिए गए कि समीक्षा कर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कराएं। जनपद महोबा के मिस मैचिंग डेटा पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा भविष्य में सभी जनपदों का डेटा NIAPH पोर्टल पर प्रदर्शित कराया जाए।

19. जनप्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर धूम रहें हैं। निर्देश दिए गए कि निराश्रित गोवंश सड़कों पर घूमते हुए न पाए जाएं।

20. जनपदों में निराश्रित गोवंश की समीक्षा कर गोवंश आश्रय स्थलों का प्रस्ताव शासन में शीघ्र प्रेषित कराएं।

खाद्य एवं रसद

21. मण्डल मेरठ, विन्ध्याचल, आगरा एवं वाराणसी तथा जनपद मैनपुरी, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, औरैया आदि जनपदों में सी0एम0आर0 डिलीवरी की प्रगति अपेक्षित स्तर की नहीं है। इसी प्रकार मण्डल विन्ध्याचल एवं जनपद सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर आदि जनपदों में धान मूल्य के भुगतान की स्थिति ठीक नहीं है। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी समीक्षा कर सी0एम0आर0 डिलीवरी एवं धान मूल्य का भुगतान कराना सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी समीक्षा कर लें कि जिन क्रय एजेन्सियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है उन एजेन्सियों को गेहूँ क्रय हेतु केन्द्र आवंटित न किए जाएं।
22. सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि पंचायत चुनाव के कारण गेहूँ क्रय प्रभावित न हो।
23. सभी जिलाधिकारियों द्वारा गेहूँ क्रय हेतु जनपदों में क्रय केन्द्रों एवं केन्द्र प्रभारी के नाम की सूची तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जाए।
24. सभी जिलाधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत गेहूँ क्रय हेतु ई-पास मशीन का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए।

कृषि

25. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिनांकः 01 जनवरी, 2021 से अब तक लगभग 4.82 लाख किसानों का डेटा सुधार किया गया है। सबसे कम प्रगति वाले जनपद फतेहपुर, सीतापुर, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, सुल्तानपुर, गाजीपुर एवं बस्ती है। जिलाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि डेटा का सुधार किया जा चुका है परन्तु पोर्टल पर अपलोड होने के उपरान्त भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। निर्देश दिए गए कि अपर मुख्य सचिव, कृषि इस समस्या को देखें तथा समाधान कराएं।
26. यूरिया एवं अन्य उर्वरक की बिक्री ई-पास मशीन के द्वारा ही सुनिश्चित कराई जाए। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि स्टाक में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा ऑनलाईन में भी उतनी ही प्रदर्शित हो।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

27. हर घर जल की योजना हेतु रेट्रोफीटिंग की स्कीम में जनपद हाथरस, आगरा, बलिया, झाँसी एवं फर्रूखाबाद की प्रगति शून्य है। निर्देश दिए गए कि समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित कराई जाए।
28. जनपद आगरा एवं अमेठी की सूची अभी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। निर्देश दिए गए कि सूची शीघ्र अपलोड कराई जाए।

संस्कृति

29. बसंत पंचमी के दिन दिनांकः 16 फरवरी, 2021 को शहीद स्मारक स्थलों पर महाराज सुहेलदेव की जयन्ती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं। चौरीचौरा स्मृति समारोह की भाँति इस कार्यक्रम का भी आयोजन जिलाधिकारी भव्य रूप से कराएं।

राजस्व

30. अवगत कराया गया कि वरासत अभियान की तिथि दिनांकः 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है। अभी तक 7.53 लाख प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष 7.21 लाख आवेदन आर0आई0 को प्रेषित कर दिए गए है, आर0आई0 द्वारा 6.11 लाख आवेदनों पर आदेश पारित किया जा चुका है। आर0आई0 स्तर पर समय सीमा के पश्चात सबसे अधिक लम्बित आवेदन पत्र जनपद सहारनपुर, कानपुर नगर, बलिया, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, देवरिया, बिजनौर एवं महराजगंज में है। इसी प्रकार लेखपाल स्तर पर सबसे अधिक लम्बित आवेदन पत्र फतेहपुर, बागपत, मेरठ, कानपुर नगर, एटा एवं गौतमबुद्धनगर जनपद में है। निर्देश दिए गए कि लम्बित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण कराकर वरासत दर्ज कराया जाए।
31. तालाबों के बहाल करने के अन्तर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक तालाबों पर अतिक्रमण जनपद आजमगढ़, लखनऊ, हरदोई, सहारनपुर, कानपुर नगर में है। इसी प्रकार संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक तालाबों पर अतिक्रमण जनपद आजमगढ़, फतेहपुर, महराजगंज, प्रयागराज एवं लखनऊ में है। निर्देश दिए गए कि अतिक्रमित तालाबों को शीघ्र बहाल कराया जाए। इस हेतु योजना बनाकर तालाबों का पुनरूद्धार कराया जाए।
32. आई0जी0आर0एस0 के प्रकरणों के निस्तारण में सबसे कम प्रगति जनपद सोनभद्र, पीलीभीत, ललितपुर, औरैया, हरदोई, कानपुर नगर एवं आजमगढ़ की है। समीक्षा कर प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।

सामान्य निर्देश

33. फ्रन्ट लाईन वर्कर तथा हेल्थ वर्कर के वैक्सिनेशन की प्रगति काफी कम है। सुनिश्चित किया जाए कि 03 दिन पहले सेशन की सूची तैयार करा ली जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सेशन विभागवार/कार्यालयवार बनायी जाए तथा 02 दिन पूर्व मोबाइल नं0 पर सम्बन्धित को सूचित भी कर दिया जाए।
34. जनपदों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी अनावश्यक अधिक भीड़ एकत्रित न हो तथा सड़क जाम की स्थिति भी न हो, इस हेतु निरंतर संवाद स्थापित किया जाए।
35. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स योजना (पी0एम0 स्वानिधि) के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर की प्रगति में सुधार नहीं हुआ है, जिलाधिकारी बैंकर्स के साथ बैठक कर लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित कराएं।
36. किसानों की आय दोगुनी करने हेतु Diversification of Agriculture, Agricultural Infrastructure एवं पर ड्राप मोर क्राप सहित अन्य सभी सम्भावित प्रयासों को सुनिश्चित किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।